

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/पेन-26/2026-1430(2)

पटना, दिनांक 24/6/2026

स्व० (डा०) जितेन्द्र कुमार, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनभाग, के० नगर, पूर्णियाँ के द्वारा ईलाज के क्रम में उपभोग किये गये अवकाश दिनांक-19.09.2025 से 08.01.2026 (मृत्यु की तिथि) तक कुल-112 दिनो को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-890(25) दिनांक-27.04.2026 तथा बिहार सेवा राहिता के नियम-234 एवं 230 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-19.09.2025 से 17.12.2025 तक	- कुल-90 (नब्बे) दिनों को रूपान्तरित अवकाश के रूप में (180 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
ii.	दिनांक-18.12.2025 से 08.01.2026 तक	- कुल-22 (बाईस) दिनो को उपार्जित अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

W. J. Kumar 20/6/26
(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

संख्या-2/पेन-26/2026-1430(2) पटना, दिनांक 24/6/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, के० नगर, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/ स्व० (डा०) जितेन्द्र कुमार, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनभाग, के० नगर, पूर्णियाँ को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. J. Kumar 20/6/26
सरकार के उप सचिव।
E